भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3871

11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- कृषियोग्य भूमि

3871. श्री सुनील कुमारः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विगत पांच वर्षों के दौरान उपलब्ध कुल कृषियोग्य भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान कृषक परिवारों की औसत आय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि में संलग्न किसानों की आय बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या सरकार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के कृषक परिवारों के लिए कोई विशेष योजना चलाने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित नवीनतम भू-उपयोग सांख्यिकी 2024-25 के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में कृषि योग्य भूमि का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) एवं (ग): देश में कृषि परिवारों की संख्या और औसत मासिक आय का आकलन समय-समय पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा संचालित "कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस)" के माध्यम से किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सर्वेक्षण (एनएसएस) के 77वें दौर के माध्यम से एमओएसपीआई द्वारा किए गए नवीनतम स्थिति आकलन सर्वेक्षण (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के अनुसार, देश में ग्रामीण परिवारों की अनुमानित संख्या 17.24 करोड़ है, जिनमें से 9.30 करोड़ कृषि परिवार हैं, जो देश के कुल ग्रामीण परिवारों का लगभग 54 प्रतिशत हैं। ये कृषि परिवार मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं।

उक्त स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार, विभिन्न स्रोतों से प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत आय 10,218 रुपये प्रति माह है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-विभिन्न स्रोतों से प्राप्त प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय का ब्यौरा अनुबंध II में दिया गया है। चूंकि पिछला एसएएस वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था, इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(घ) एवं (ङ): कृषि राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार किसानों के कल्याण में वृद्धि तथा कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से उपयुक्त नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से बिहार के पश्चिम चंपारण जिले सहित पूरे देश में राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत कम करने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करने और किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए कई नीतियां और विकासात्मक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

इन पहलों में कृषि के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिनमें ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार गतिविधियाँ, फसलों की खरीद आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि भी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का विवरण अनुबंध III में दिया गया है।

अनुबंध I

"कृषि योग्य भूमि" के संबंध में दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3871 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश - कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत क्षेत्रफल

(हजार हे. में)

क्रमांक	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (पी)
1	आंध्र प्रदेश	8817	8987	8979	8977	8969
2	अरुणाचल प्रदेश	431	431	431	431	431
3	असम	3295	3321	3315	3312	3304
4	बिहार	6541	6542	6545	6548	6560
5	छत्तीसगढ	5542	5552	5556	5554	5564
6	गोवा	140	141	139	141	141
7	गुजरात	12462	12428	12368	12317	12234
8	हरियाणा	3847	3847	3950	3853	4030
9	हिमाचल प्रदेश	821	831	843	828	824
10	झारखंड	4319	4324	4311	4311	4311
11	कर्नाटक	12846	12836	12812	12792	12777
12	केरल	2229	2223	2200	2186	2178
13	मध्य प्रदेश	17449	17432	17442	17423	17402
14	महाराष्ट्र	20509	20466	20394	20391	20371
15	मणिपुर	417	399	389	389	194
16	मेघालय	1010	1015	1014	1014	1014
17	मिजोरम	367	367	367	391	165
18	नागालैंड	674	672	669	668	666
19	ओडिशा	6654	6782	6742	6724	6688
20	पंजाब	4237	4225	4225	4226	4232
21	राजस्थान	25473	25463	25464	25446	25442
22	सिक्किम	97	97	103	103	110
23	तमिलनाडु	8106	8105	8105	8104	8104
24	तेलंगाना	6717	6715	6735	6728	6728
25	त्रिपुरा	270	270	269	269	267

26	उत्तराखंड	1544	1541	1540	1564	1562
27	उत्तर प्रदेश	18614	18264	18227	18237	18321
28	पश्चिम बंगाल	5602	5595	5589	5583	5577
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	28	28	28	22	23
30	चंडीगढ़	1	1	1	1	1
31	डीएनएच और डीडी	23	23	22	22	22
32	दिल्ली	53	53	52	59	58
33	जम्मू और कश्मीर	1074	1075	1094	1095	1097
34	लद्दाख	28	28	32	32	32
35	लक्षद्वीप	2	2	2	2	2
36	पुदुचेरी	28	28	28	28	27
अखिल भारतीय डेटा		**180266**	**180112**	**179982**	**179768**	**179428**

पी: अनंतिम।

स्रोत: भू-उपयोग सांख्यिकी 2024-25 का संक्षिप्त विवरण

कृषि योग्य भूमि: इसमें निवल बोई गई भूमि, वर्तमान परती भूमि, वर्तमान परती भूमि के अलावा अन्य परती भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि और विविध वृक्ष फसलों के अंतर्गत भूमि शामिल है।

अनुबंध II

"कृषि योग्य भूमि" के संबंध में दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3871 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार कृषि वर्ष जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान कृषि परिवारों की औसत मासिक आय

क्र.सं.	*राज्य/ पूर्वोत्तर राज्यों का समूह/ केंद्र शासित प्रदेशों*	*आय (रु.)*
1	आंध्र प्रदेश	10,480
2	अरुणाचल प्रदेश	19,225
3	असम	10,675
4	बिहार	7,542
5	छत्तीसगढ	9,677
6	गुजरात	12,631
7	हरियाणा	22,841
8	हिमाचल प्रदेश	12,153
9	जम्मू और कश्मीर	18,918
10	झारखंड	4,895
11	कर्नाटक	13,441
12	केरल	17,915
13	मध्य प्रदेश	8,339
14	महाराष्ट्र	11,492
15	मणिपुर	11,227
16	मेघालय	29,348
17	मिजोरम	17,964
18	नागालैंड	9,877
19	ओडिशा	5,112
20	पंजाब	26,701
21	राजस्थान	12,520
22	सिक्किम	12,447
23	तमिलनाडु	11,924
24	तेलंगाना	9,403
25	त्रिपुरा	9,918
26	उत्तराखंड	13,552
27	उत्तर प्रदेश	8,061
28	पश्चिम बंगाल	6,762
	पूर्वोत्तर राज्यों का समूह	**16,863**
	केंद्र शासित प्रदेशों का समूह	**18,511**
	अखिल भारत	**10,218**

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और परिवारों की भूमि और पशुधन जोत का स्थिति आकलन, 2019।

अनुबंध- III

"कृषि योग्य भूमि" के संबंध में दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3871 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - ऑयल पाम
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
4. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ)
5. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
6. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ)
7. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
8. कृषि वानिकी
9. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
10. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
11. राष्ट्रीय बांस मिशन
12. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
14. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
15. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
16. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
17. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
18. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) / पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
19. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
20. संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस)
21. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
22. नमो ड्रोन दीदी
23. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन
24. स्टार्ट-अप्स एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
25. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
26. डिजिटल कृषि मिशन
27. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
28. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)
29. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना
30. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

*****